लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

64/2024

तारीखरजू:– 10/10/24

उनवान:– उम्मेद सिंह बनाम अशोक वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क	फर्द अहकाम	
10/10/24	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री दिलावर सिंह बैसला एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए **गैरसायलान आगामी पेशी** तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 85/0.19, 88/0.95 कुल किता 2 कुल रकवा 1.14 है0 स्थित ग्राम फतेहपुर तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 12.11.2024 को पेश हो। (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी	6552-55 10/10/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:21:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंग

फर्द अहकाम

दिनांक	
12-12-24	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन .... आ गया है। गतानुसार दिनांक 10-12-24 को पेश हो।
10-12-24	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी [illegible] व्यस्त हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक 22-1-25 पेश हो।
22-1-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित वास्ते तलबी दिनांक 28-2-25 को पेश हो।
28-2-25	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी परीक्षा ड्यूटी में व्यस्त हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक 5-4-25 को पेश हो।
5-4-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं बार बार आवाज दी गई इसके उपरान्त भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अदमपैरवी लिये खारिज प्रार्थी वकील भी अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नामिल दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:21:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner